कार्यालय अध्यक्ष,नगर विकास न्यास एवं जिला कलक्टर,भरतपुर

क्रमांक / कोर्ट / 108 / दिनांक

श्री भंवर सिंह पुत्र चन्दभान,
जाति कुम्हार ग्रांम भांडोर कला,
तहसील भरतपुर

विषय :— आपकी अपील तारीखी 21.6.2019 विरुद्व सचिव,यू.आई.टी.भरतपुर द्वारा सूचना नहीं दिये जाने बाबत।

उपरोक्त विषान्तर्गत लेख है आपकी अपील तारीखी 21.6.2019 जो इस कार्यालय में दिनांक 19.9.19 को प्राप्त हुई है का अवलोक किया गया, जिस में आप के आरटीआई प्रार्थना पत्र 24.4.19. में चाही गई सूचना सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा सूचना नहीं दिये जाने सम्बन्ध में, सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया गया है। आपके के आरटीआई प्रार्थना पत्र 24.4.19 के सन्दर्भ में सचिव नगर विकास न्यास द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत पूर्व में भी आरटीआई अपील तारीखी 21.6.2019 इस कार्यालय को भिजवाई गई थी, जो कार्यालय में दिनांक 24.6.19 को प्राप्त हुई थी, जिसका निर्णय दिनांक 25.7.19 को हो चुका है। जब प्रकरण में पूर्व में निर्णय हो चुका हो तो उसी प्रकरण में एक से अधिक बार अपील प्रस्तुत करना न्याय उचित नहीं है। अपितु निर्णय दिनांक 25.7.19 से सन्तुष्ट नहीं होने पर उसके विरुद्व माननीय सूचना आयोग जयपुर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि पूर्व अपील निर्णय दिनांक 25.7.19 के सन्दर्भ में सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक प.(31)सू.अ. / 2019 / 2911 दिनांक 16.10.19 से अवगत कराया है कि आप द्वारा चाही गई सूचना, जरिये न्यास के पत्र क्रमांक / प.(31)सू.अ. / 2019 / 2864 दिनांक 19.9.19 से आपके पते पर भिजवाई जा चूकी है(सुलभ सन्द्रर्भ हेतु नगर विकास न्यास के पत्र की फोटो प्रति संलग्न है। सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न :—

उपरोक्तानुसार

अध्यक्ष, नगर विकास न्यास
एवं जिला कलक्टर,
भरतपुर